

कार्यालय-मण्डलीय अपर निदेशक (मा०शि०) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

पत्रांक/सेवा अरराज./3क(2)/

51

/30 प्रति. पदोन्नति/2016-17/दिनांक 03/05/16

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमवली-2014 के भाग-3(2) एवं भाग-4(1) में उल्लिखित प्रावधानानुसार गणित विषय में राजकीय प्रारंभिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत प्रधानाध्यापक प्रा०शि०, सहायक अध्यापक सा०प्र०शि० एवं सहायक अध्यापक राजकीय आदर्श विद्यालयों में सन-वेलनक्रम में कार्यरत अध्यापक/अध्यापिकाओं के उपलब्ध न होने के फलस्वरूप राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापकों में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए सम्बन्धित द्वारा उचित मान्य से उपलब्ध कराये गये आवेदन पत्रों एवं जेष्ठता के आधार पर फाउन्डेशन के माध्यम से निम्नांकित सहायक अध्यापक/अध्यापिकाओं द्वारा वैकल्पित/याचित विद्यालय में पदोन्नत/पदस्थापित किया जाता है। उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं को आदेश निर्गत की तिथि से 15 दिनों के अन्तर्गत अपने पदोन्नत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। पदोन्नति के फलस्वरूप आर्दरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण न करने वाले अध्यापक/अध्यापिकाओं को आगामी 03 वर्ष तक पदोन्नति प्रदान नहीं की जायेगी। पदोन्नति प्राप्त विद्यालयों को जेष्ठता नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

विषय-गणित

शाखा-सामान्य

क्र. सं.	अध्यापक/अध्यापिका का नाम/पदनाम	विद्यालय का नाम	विकास खण्ड	जनपद	प्रथम नियुक्ति तिथि	V क्षेत्र का सेवा गुणांक	पदोन्नत/पदस्थापित विद्यालय	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री नवीन सिंह रावत स०प्र०	रा०प्र०शि० ताल	पौड़ी	पौड़ी	21-12-2001	20.292	रा.इ.का. गुलियारी (धौलीचौक) पौड़ी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
2	श्री दिग्विजय सिंह स०प्र०	रा०प्र०शि० देवप्रयाग	देवप्रयाग	टिहरी	14-06-1996	19.479	रा.इ.का. कमन्ध (धौलीचौक) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
3	श्री जयदीप शर्मा स०प्र०	रा०प्र०शि० कल्याणकोठी	कोट	पौड़ी	21-04-2000	12.408	रा.इ.का. घाडाखुरी (जौनपुर) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
4	श्री सुरजेश सिंह स०प्र० प्रा०शि०	रा०प्र०शि० खोली	जखोली	रुद्रप्रयाग	28-05-2001	11.325	रा.इ.का. खोलीखाल (जखोली) रुद्रप्रयाग	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
5	श्री विजय सिंह	प्लानक संसाधन फ्रेण्ड कॉलेज टिहरी	कोटिनगर	टिहरी	05-04-1999	9.524	रा.इ.का. कौरी बुखरिया (कोटिनगर) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
6	श्रीमती कमना मण्डारी स०प्र०	रा०प्र०शि० नजीर	जखोली	रुद्रप्रयाग	21-03-1998	7.35	रा.क.मा.दि. बालाकुलली (जखोली) रुद्रप्रयाग	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
7	श्रीमती उर्मिला नेगी स०प्र० प्रा०शि०	रा०प्र०शि० कल्याण तल्ली	पौड़ी	पौड़ी	22-11-2001	5.603	रा.इ.का. गडियाव (पौड़ी) पौड़ी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
8	श्री भूपेन्द्र सिंह नुसाई स०प्र०	रा०प्र०शि० नैरा	अगस्त्यमुने	रुद्रप्रयाग	05-02-1999	3.25	रा.इ.का. राठ (अगस्त्यमुने) रुद्रप्रयाग	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
9	श्री सुरेश चन्द डोमाल स०प्र० प्रा०शि०	रा०प्र०शि० नुसाई	कोटिनगर	टिहरी	29-07-2000	2.896	रा.इ.का. बरदुडी (अगस्त्यमुने) रुद्रप्रयाग	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
10	श्रीमती सुमुन मट्ट स०प्र०	रा०प्र०शि० सिला	अगस्त्यमुने	रुद्रप्रयाग	15-04-1998	0.423	रा.इ.का. कल्याण (अगस्त्यमुने) रुद्रप्रयाग	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति

विषय-गणित

शाखा-महिला

1	श्रीमती ललिता शर्मा स०प्र०	रा०प्र०शि० मोटाडाक	दुगडा	पौड़ी	01-01-1999	0.877	रा.इ.का. धौलीचौक (अगस्त्यमुने) पौड़ी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
2	श्रीमती सुष्मा सुरियाल स०प्र०	रा०प्र०शि० मुसोली	जखोली	टिहरी	29-11-2001	0.216	रा.इ.का. श्रीनगर (खिसी) पौड़ी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

मानक उपाध्यक्ष

मण्डलीय अपर निदेशक (मा.शि.)

गढ़वाल मण्डल पौड़ी

पत्रांक/सेवा अरराज./3क(2)/


1316-80

/30 प्रति. पदोन्नति/2016-17/दिनांक उत्तराखण्ड।

संक्षेपित- निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।

3. निर्देशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून
4. निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
5. निर्देशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. उपर निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल चौड़ी।
7. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
8. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मा0)
9. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (बैसिक) जो इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाइट (www.schooleducation.uk.gov.in) पर भी उपलब्ध है। अतः जग सम्बन्धित अध्यापिका का पदोन्नति आदेश सम्बन्धित उपरिष्ठा अधिकारी को हस्तागत कराना सुनिश्चित करें एवं कार्यभार मुक्त/ग्रहण की सूचना उपलब्ध कराएँ।
10. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
11. सम्बन्धित जिला एवं लेखाधिकारी।
12. सम्बन्धित उच्च शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी (प्र.शि.)।
13. सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या जो इस आशय से प्रेषित कि पदोन्नत अध्यापिका को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनकी सेवा सम्बन्धी सनस्त अभिलेखों का मती-मति परीक्षण/सत्यापन कर लें, तत्पश्चात् सम्बन्धित को कार्यभार मुक्त/ग्रहण कराना सुनिश्चित करें। उक्त के अतिरिक्त निम्न तथ्यों की भी पुष्टि कर लें-
(क) सम्बन्धित शिक्षक स्नातक उपाधि प्राप्त हैं।
(ख) प्रथम नियुक्ति तिथि (प्रशिक्षित वेतनमान) के उपरान्त 30 जून, 2014 की तिथि तक गढ़वाल गवर्नलार्न्मेंट न्यूनतम DE वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली गयी है।
(ग) शासनादेश/निर्णयपत्रों के अनुसार निर्धारित विषय तयोजन सम्बन्धी उपपत्र पूर्ण करता है।
(घ) पदोन्नत अध्यापिका को प्रतिष्ठित स्नातक न होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा पठित स्तर के माध्यम से निर्धारित प्रमाण पत्र अथवा एन.सी. टी.ई. से मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय में शिक्षा स्तर में उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करना होगा। यदि उक्त प्रमाण पत्र उपाधि अथवा डिप्लोमा नियुक्ति वर्ष के परीक्षा दौरे वर्षों में प्राप्त नहीं किया जाता है तो अगली वेतनवृद्धि तभी देय होगी जब वे ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि अथवा डिप्लोमा प्राप्त कर लें, किन्तु पदोन्नति की तिथि को 55 वर्ष अथवा अधिक आयु के अन्तर्गत के लिये ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि अथवा डिप्लोमा प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।
14. सम्बन्धित अध्यापिका को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि से -2 दिन को अन्तर्गत अपनी सेवानोती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित उपाधि के अतिर सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो उनकी पदोन्नति सख्त ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित शिक्षिका अपने पदोन्नत विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या के सम्मुख पदोन्नति आदेश के साथ संलग्न समस्त वैधानिक, प्रशासनिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छाया प्रतियों सहित) प्रस्तुत करेंगे।
15. कार्यालय आदेश पत्रिका।


 मुख्य जिला उपाधिकारी
 सहायक उपर निर्देशक (मा.शि.)
 गढ़वाल मण्डल चौड़ी

कार्यालय-मण्डलीय अपर निदेशक (मा0शे0) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

पत्रांक/सेवा.अर.ज./उक(2)/

53

/30 प्रति पदोन्नति/2016-17/दिनांक 03/05/16

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी सेवा नियमावली-2014 के भाग-5 भाग प्रक्रिया के प्रसार-16(1) में उल्लिखित प्रक्रियाओं के अन्तर्गत निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक/सेवा-2/19739-4C/30 प्रतिष्ठित पदों/2015-16 दिनांक 07 अक्टूबर, 2015 एवं पत्रांक/सेवा-2/656-57/30 प्रतिष्ठित पदों/2016-17 दिनांक 08 अप्रैल 2016 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत ज्ञानाभ्यासक प्रा0वि0, सहायक अध्यापक रा0उ0आ0वि0 एवं सहायक अध्यापक राजकीय आदर्श विद्यालयों में समान वेतनक्रम में कार्यरत अध्यापक/अध्यापिकाओं को कार्टिलिंग के माध्यम से उनके द्वारा विकल्पित/द्वितीय विद्यालय में सहायक अध्यापक स्नातक वेतनक्रम (वेतन बैंड 3003-34820, पेड वेतन 4600) में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ संख्या-09 में अंशित विद्यालय में पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्तता को अस्वीकार करते हुये पदोन्नति/पदस्थानित किया जाता है। उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं को आदेश निर्गत की तिथि से 15 दिनों के अन्तर्गत अपने पदोन्नत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। पदोन्नति के फलस्वरूप आवंटित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण न करने बात अध्यापक/अध्यापिकाओं को अगामी 03 वर्ष तक पदोन्नति प्रदान नहीं की जायेगी। पदोन्नति प्राप्त शिलकों की प्रौढता नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

विषय:- गणित

शाखा-सामान्य

क्र.सं.	अध्यापक/अध्यापिका का नाम/पदनाम	विद्यालय का नाम	विकास खण्ड	जन्मपद	जन्म नियुक्ति तिथि	Y क्षेत्र का सेवा गुणक	पदोन्नत/पदस्थानित विद्यालय	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री राजेश मोहन डी डेयाल रा0आ0	रा0ए0आ0वि0 गिदाली	नारी	पौड़ी	11-04-1995	22.445	रा.इ.का. सतपुरी (हार्दिकाल), पौड़ी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
2	श्री शक्ति प्रसाद चमाली (रा0आ0)	रा0उ0आ0वि0 रोपरी	मेलमना	टिहरी	06-09-1995	21.955	रा.उ.मा.वि. घमण्डुर (खोईवाल), देहरादून	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
3	श्रीमती रुधा निशा रा0आ0 रा0आ0वि0	रा0व0आ0वि0 खाल	पोखरी	चमाली	06-02-1999	18.573	रा.इ.का. पदेलनगर, भेराबपुर देहरादून	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
4	श्री विनोद अस्वाल रा0आ0	रा0ए0आ0वि0 जाख	घन्ना	टिहरी	17-02-1997	16.148	रा.उ.मा.वि. जौपी (नरेन्द्रनगर) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति

विषय:- गणित

शाखा-महिला

1	श्रीमती विनोदा मठाणी रा0आ0 प्रा0वि0	रा0आ0वि0 नकुची	जमशेदपुर	पौड़ी	03-01-1999	16.316	रा.क.र.मा.वि. रायपुर (रायपुर) देहरादून	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
2	श्रीमती रेखा मिश्र रा0आ0	रा0रा0उ0आ0वि0 मारी कर्ली	नीनांग	उत्तरकाशी	24-05-2004	0	रा.क.र.मा.वि. मुराही (नीनांग) उत्तरकाशी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(सम्पूर्ण अनिवार्य)

मण्डलीय अपर निदेशक (मा.शे.); गढ़वाल मण्डल पौड़ी

पु.स./सेवा.अर.ज./उक(2)/ 1406-60

/30 प्रति पदोन्नति/2016-17/दिनांक उक्तकेत।

प्रतिलिपि:- विनियमित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड धारन, देहरादून।
2. सहायनिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. निदेशक अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
7. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
8. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मा0)
9. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (बैसिक) को इस आशय में प्रेषित कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाइट (www.schoolseducation.uk.gov.in) पर भी उपलब्ध है। अतः अन्य सम्बन्धित अध्यापिका या पदोन्नति आदेश सम्बन्धित अनिश्चित अधिकारी को हस्तगत करना सुनिश्चित करें एवं कार्यभार मुक्त/ग्रहण की सूचना उपलब्ध करावे।
10. सम्बन्धित वरिष्ठ क्षेत्राधिकारी।
11. सम्बन्धित जिला एवं सेवाधिकारी।
12. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप-जिला अधिकारी (प्रा.शे.)।

13. सम्बन्धित प्रधानध्यापक/प्रधानध्यापिका/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय से प्रेषित कि पदोन्नत अध्यापिका को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके सेवा सम्बन्धी सनरत अभिलेखों का भर्ती-बाँटि पदोन्नत/स्थापन कर लें, तत्पश्चात् सम्बन्धित को कार्यभार मुक्त/ग्रहण करना सुनिश्चित करें। उक्त के अतिरिक्त निम्न तथ्यों की भी पुष्टि कर लें:-

(क) सम्बन्धित शिक्षक स्नातक उपाधि प्राप्त हो।


(ख) प्रथम नियुक्ति तिथि (प्रतिष्ठित वेतनमान) के उपरान्त 30 जून, 2014 की तिथि तक गढ़वाल मण्डलस्तरीय न्यूनतम 08 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा वर्तमान में वेतनमान 9300-34800, ग्रेड वेतन: 4500 में कार्यरत हो।

(ग) सासनादेश/नियमावली के अनुसार निर्धारित विषय संयोजन सम्बन्धी उपबन्ध पूर्ण करता हो।

(घ) पदोन्नत अध्यापिका को प्रशिक्षित स्नातक न होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा गठित संस्था के माध्यम से निर्धारित प्रमाण पत्र अथवा एन. सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय में शिक्षा शास्त्र में उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करना होगा। यदि उक्त प्रमाण पत्र उपाधि अथवा डिप्लोमा निर्दिष्ट वर्ष के परीक्षा सत्र वर्षों में प्राप्त नहीं किया जाता है तो अगली वेतनवृद्धि तभी देय होगी जब वे ऐसा प्रमाण पत्र उपाधि अथवा डिप्लोमा प्राप्त कर लें, किन्तु पदोन्नति की तिथि को 65 वर्ष अथवा अधिक आयु से अभ्यर्थी के लिये ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि अथवा डिप्लोमा प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।

14. सम्बन्धित अध्यापिका को इस निर्देश को ज्ञाय प्रेषित कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिन के अन्तर्गत अपनी तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित उपाधि के भीतर सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो उसकी पदोन्नति स्वतः ही निरस्त समझी जाएगी कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित शिक्षिका अपने पदोन्नत विद्यालय के प्रधानध्यापक/प्रधानध्यापिका/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या के समुच्च पदोन्नत आदेश के साथ संलग्न समस्त वैधानिक प्रशिक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रतियाँ छाया प्रतियों सहित) प्रस्तुत करेंगे।

15. कार्यलय आदेश भजिका।


31/5/16
(सामकृष्ण खनियाल)
मण्डलीय अपर निर्देशक (भा.रि.)
गढ़वाल (प्रबन्धन पीठ)